

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर (राज.)

उनवान अनवरत वनाम गोपाल सिंह
किस्म मुकदमा प्रां.पत्र 25(C) R.T. Act प्रकरण संख्या - 0013/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
3/10/21	<p>पत्रावली पेश/बकील इनाम पत्र 25(C) प्रां.पत्र का उल्लेख किया गया/ प्रां.पत्र, अपन प्रां.पत्र, दरलेखी संलग्न पत्र, रिपोर्ट अधिकारी का अध्यात्म किया गया/ प्रां.पत्र द्वारा रिपोर्ट अधिकारी पर लागू की जायगी व अतः प्रां.पत्र को भी पढ़ा गया/ बस के बिन्दुके शर्तों में पेश नजदीक का मंगल किया गया/ सहायक अध्यात्म शर्त मंगल संसाध है कि प्रां.पत्र/सापलाग द्वारा जिस शर्त देना चाहता था वह सापलाग व गैरसापलाग ① ② की संयुक्त शर्तों की शर्त है। चारा 25(C) R.T. Act के अन्तर्गत सापलाग प्रमाणों के आधार पर देना चाहता था कि सापलाग को लीज वंद/प्रां.पत्र प्रस्तुत कर सकता है। संयुक्त शर्तों की शर्तों के लिए नहीं। इसके अलावा जिस आधारों के लिए चारा 25(C) R.T. Act के अन्तर्गत सापलाग को देना चाहता था वह उचित है। चारा 25(C) R.T. Act के अन्तर्गत सापलाग को देना चाहता था कि उसे देना चाहिए।</p> <p>अतः रिपोर्ट अधिकारी सापलाग प्रां.पत्रों को लीज करे कि जिस चारों से लीज चाहिए वह सापलाग रिपोर्ट को देना चाहता था। रिपोर्ट को प्रां.पत्र को सापलाग द्वारा लीज देना चाहिए।</p> <p>अतः रिपोर्ट अधिकारी सापलाग द्वारा लीज-चाहता था कि प्रां.पत्र को लीज करे कि जिस चारों से लीज चाहिए वह सापलाग रिपोर्ट को देना चाहता था। रिपोर्ट को प्रां.पत्र को सापलाग द्वारा लीज देना चाहिए।</p> <p>अतः रिपोर्ट अधिकारी सापलाग द्वारा लीज-चाहता था कि प्रां.पत्र को लीज करे कि जिस चारों से लीज चाहिए वह सापलाग रिपोर्ट को देना चाहता था। रिपोर्ट को प्रां.पत्र को सापलाग द्वारा लीज देना चाहिए।</p>	
	<p>उपरोक्त परिशिष्टों को मंजूर करते हुए प्रां.पत्र सापलाग अन्तर्गत चारा - 25(C) R.T. Act शर्तों में लागू है। पत्रावली केवल शुभ होकर नजर में लाया है। बाक शर्तों को मंजूर है।</p> <p>निर्णय उच्च न्यायालय में अनुमात्रण/</p>	<p>3/10/21</p> <p>उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर)</p>